न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र वहेडिया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2025/5

प्रकरण संख्या 08/25

अनवान

1. श्री देवीलाल मीणा पुत्र बाबरू मीणा निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 23.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खाता संख्या नया 233 की आराजी न. 2198/1343, 2200/1345 किता 2 रकबा 0.8600 है. भूमि स्थित हैं. उक्त कुलिया भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी हैं। उक्त भूमि के पडौस में विपक्षीगणो की भूमि आ गई और प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता हैं जिससे प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या नया 233 आराजी न. 2198/1343, 2200/1345 किता 2 रकबा 0.8600 है. भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नही है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली [illegible] से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।
निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:33:19 IST
Reason: SelfAttested